

**कार्यालय,
उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या- प्रविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

तारीख: दिनांक 09/08/2022

1.कार्यालय द्वारा-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/आरपीसी कार्यालय और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा-स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त कार्यालय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता-सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत् हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अपेक्षित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघीय संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पारदर्शन/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निच प्रस्ताव को प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2022-23 हेतु सिफारिश करने के लिये पारदर्शन एवं उसने अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

| क्र.सं. | पारदर्शन का नाम | एच-आई/सी/टी/आई/पी/सी/आई/ए द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | ELECTRICAL ENGINEERING | 60 | 60 |
| 2 | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) | 120 | 120 |
| 3 | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 120 | 120 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र 20-आई/सी/टी/आई/पी/सी/आई/ए द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ सत्र उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद एम्ब 1902 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1902, विनियमवली 2000, सेमेन्ट विनियमवली-2018 तथा सत्र-सत्र पर निर्णित शर्त-शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इन्टीर परीक्षाओं हेतु रु० 30150.00/- वार्षिक, दो वार्षिक त्रैमासिक परीक्षाओं हेतु रु०-45000.00/- वार्षिक एवं एक वर्ष दो वार्षिक परीक्षाओं (दो वार्षिक त्रैमासिक परीक्षाओं के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- वार्षिक शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में सत्र-सत्र पर सत्रानुसार निर्णय किये जाने वाले शर्त-शर्तों का पालन होगा, और उद्वेगपूर्ण कार्यवाही किया जाया जायेगा होगा। कृपया निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु लीस का पूर्णतःपालन किया जाय है, तो लीस की नवीनता दर्द लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को सत्र-सत्र पर निर्णित शर्त-शर्तों के अनुसार निर्देश एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विधिविधियों/विनियमों/शर्त-शर्तों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी गये विद्यार्थी, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का एच-आई/सी/टी/आई/पी/सी/आई/ए में अनुमोदन निराल किया जाता है तो इस संकेत में सत्रानुसारित

